

सूचना

विषय: अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार की पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

सभी संबंधित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के सभी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है, जो भारत से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

योजना की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

इस योजना के अंतर्गत पात्र अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को पासपोर्ट शुल्क की प्रतिपूर्ति हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। वर्तमान में प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को पासपोर्ट शुल्क के रूप में अधिकतम ₹1,500/- (रुपये एक हजार पाँच सौ मात्र) की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।

पात्रता

यह योजना निम्नलिखित विद्यार्थियों के लिए लागू है:

हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सभी नियमित अंतिम वर्ष के स्नातक (UG) विद्यार्थी।

हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सभी नियमित अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर (PG) विद्यार्थी।

विद्यार्थी का संबंधित राजकीय महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी होना आवश्यक है।

सहायता का स्वरूप

पात्र विद्यार्थियों को पासपोर्ट शुल्क के रूप में 1,500/- की राशि हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया

पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पोर्टल पर निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

विद्यार्थी अपने यूजरनेम एवं पासवर्ड का उपयोग करके निर्धारित पोर्टल पर लॉगिन करेगा।

पासपोर्ट जारी होने के बाद, विद्यार्थी पोर्टल के माध्यम से पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करेगा।

विद्यार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज/जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी:

जारी किए गए पासपोर्ट की प्रति। पासपोर्ट शुल्क की रसीद। विद्यार्थी के बैंक खाते का विवरण।

संबंधित राजकीय महाविद्यालय द्वारा पोर्टल पर प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विवरण का सत्यापन किया जाएगा।

महाविद्यालय द्वारा सत्यापन के बाद पात्र विद्यार्थियों की समेकित सत्यापित सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित शाखा द्वारा इसी पोर्टल के माध्यम से चालान/EPS तैयार किया जाएगा, क्योंकि यह पोर्टल पहले से ही e-Salary के साथ एकीकृत है।

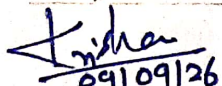
यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि केंद्रीकृत बिल मुख्यालय स्तर पर तैयार किया जाएगा, महाविद्यालय स्तर पर नहीं।

पासपोर्ट शुल्क की प्रतिपूर्ति मुख्यालय द्वारा की जाएगी, संबंधित महाविद्यालय द्वारा नहीं।

कोषागार (Treasury) द्वारा बिल स्वीकृत/क्लीयर होने के बाद, प्रतिपूर्ति की राशि सीधे संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

सभी पात्र अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस सरकारी योजना का लाभ उठाएं तथा निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक दस्तावेज/विवरण निर्धारित पोर्टल पर प्रस्तुत करें।

नोट:- जिन विद्यार्थियों ने Fee Refund के लिए Portal पर आवेदन किया है, वे अपने आवेदन की हार्ड कॉपी शीघ्र ही कॉलेज में जमा करवाएं, ताकि कॉलेज स्तर पर आवेदन का सत्यापन समय पर किया जा सके।


09/09/26
Convener

Passport committee


09/09/26
Principal

SCR GCW SAMPLA

पासपोर्ट से संबंधित किसी भी
प्रश्न की जानकारी के लिए डॉ. कृष्ण कुमार
पासपोर्ट कमेटी के इन्जार्ज के संपर्क करें
तकते 09